श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016

क्रमांक एफ 3/LBSNSU/2022-23/ 852 दिनांक: 15.11.2023

कार्यालय-सूचना

शैक्षणिक सत्र 2022-23 में विद्यावारिधि (पीएच.डी) पाठ्यक्रम में अस्थायी रूप से पंजीकृत शोध छात्रों हेतु आयोजित सत्रीय पाठ्यक्रम परीक्षा का परीक्षा परिणाम दिनांक 30.10.2023 को घोषित किया जा चुका है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम-2016 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार सत्रीय पाठ्यक्रम परीक्षा में उत्तीर्ण शोध छात्रों के स्थायी पंजीकरण हेतु सम्बन्धित विभाग अपने अपने विभाग के छात्रों को शोध शीर्षक एवं शोध निर्देशक निर्धारित करने हेतु विभागीय शोध समिति की बैठक आयोजित कर कृतकार्यवाही की रिपोर्ट एवं विभागीय शोध समिति द्वारा संस्तुत शोध शीर्षक के अनुसार शोध छात्रों द्वारा शोध संक्षिप्तिका का प्रारूप तैयार कर सम्बन्धित विभाग के माध्यम से शैक्षणिक विभाग में **दिनांक 30.11.2023** तक प्रेषित करना अनिवार्य होगा ताकि निर्धारित समय में विभागीय शोध समिति की बैठक का कार्यवृत्त स्वीकृति हेतु आगामी शोधमण्डल की बैठक में प्रस्तुत किया जा सके।

शोधार्थी जिस विषय में शोध करना चाहता हैं, उस विषय के विभागाध्यक्ष से सम्पर्क कर अपने विषय का चयन तथा रूपरेखा आदि का निर्माण निर्धारित निर्देशों के अनुसार करेंगे। **प्रत्येक शोध छात्र द्वारा अपनी शोध शोध संक्षप्तिका का निर्माण सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र के अनुसार ही करना होगा।** अन्यथा संक्षप्तिका पर विचार नहीं किया जायेगा। शोध मण्डल के विचारार्थ प्रस्तुत की जाने वाली शोध सक्षिप्तिका/प्रपत्र में शोधार्थी और शोधनिर्देशक के हस्ताक्षर, विभागाध्यक्ष की संस्तुति एवं पीठ प्रमुख के हस्ताक्षर होने चाहिए। शोध संक्षिप्तिका की 15 प्रतियां, जिसमें अनुसन्धान के अध्ययन का अभिप्राय हो और स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित हो कि प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध में शोध कर्त्ता का मौलिक योगदान होगा, अज्ञात सामग्री को प्रकाशित किया जायेगा अथवा पहले से ज्ञात तत्थों की नवीन व्याख्या की जायेगी। अनुसन्धान विषय की संक्षिप्तिका में प्रस्तावित शोध--योजना,अध्यायीकरण, प्रत्येक अध्याय में विश्लेषित किये जाने वाले सम्भावित विषय, उपकरण पद्धति, अनुमान, समीक्षात्मक निष्कर्ष आदि का प्रतिपादन और इसके साथ ही सन्दर्भ ग्रन्थों की सूची भी अपेक्षित है। प्रत्येक शोध छात्र को शोध संक्षप्तिका की एक soft प्रति भी अनिवार्य रूप से शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करवानी होगी।

उपरोक्त के संबंध में समस्त विभागाध्यक्षों को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/विश्वविद्यालय द्वारा विद्यावारिधि उपाधि हेतु निर्धारित नियमों को संज्ञान में लेते हुए वह अपने-अपने विभाग की विभागीय शोध समिति की बैठक अतिशीघ्र आयोजित करवाकर बैठक का कार्यवृत्त शैक्षणिक विभाग को दिनांक 30.11.2023 तक प्रेषित करने का कष्ट करेगें, ताकि नियमानुसार शोधमण्डल की बैठक में प्रस्तुत किये जाने वाली कार्य सूची निर्धारित समय में तैयार की जा सके।

यह सूचना माननीय कुलपति महोदय के निर्देशानुसार निर्गत की जा रही है।

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. समस्त पीठ प्रमुख
02. समस्त विभागाध्यक्ष
03. निदेशक, IQAC
04. परीक्षा नियंत्रक
05. सहायक पुस्ताकालध्यक्ष
06. सिस्टम एडमिनिस्ट्रट को इस आशय से प्रेषित कि वे सूचना को वेबसाईट पर अंकित करने का कष्ट करें
07. कुलपति/कुलसचिव के निजी सचिव
08. शैक्षणिक सत्र 2022-23 में पंजीकृत शोध छात्र

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)